सील्ड /रजिस्टर्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-252/2020/479/22-2-2020-17(299)/1992

लखनऊ: दिनांक: 10 जुलाई, 2020

आदेश

उत्तर प्रदेश के मा0 राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए **केन्द्रीय कारागार, बरेली** में निरूद्ध सिद्धदोष **बन्दी हरीशंकर (बन्दी संख्या-26470) पुत्र श्री नेतराम, जो-हरिहरपुर, थाना-मोहम्मदी, जनपद-लखीमपुर खीरी** का रहने वाला है, जिन्हें **सत्र परीक्षण संख्या-145/1983** के अन्तर्गत भारतीय दण्ड विधान की **धारा-302/149, 307/149, 148** के अधीन **दिनांक 10.10.1983** को **मा0 प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, लखीमपुर खीरी** द्वारा **आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित** किया गया, की बृद्धावस्था, कारावास की भोगी गयी सजा, संतोषजनक जेल आचरण, जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी समयपूर्व रिहाई की संस्तुति एवं कोविड-19 की विश्वव्यापी महामारी के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते हैं, तथा यह आदेश देते हैं कि उक्त बन्दी द्वारा अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिए **जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी** के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-252/2020/479(1)/22-2-2020 तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, लखीमपुर खीरी।
3- पुलिस अधीक्षक, लखीमपुर खीरी।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
5- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in